

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सपोररा  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प ग्रामपालिका बालोरी

**:- आदेश :-**

31/12

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी बालोरी व भू.अ.नि. डिपोररा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सपोररा / नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम बालोरी, जखडी तहसील सपोररा व जिला करौली की जमाबन्दी सम्वत् 2011-14 में खाता संख्या 2069-72 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क0स0	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश ( शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
01	बालोरी	155	राजू हरिचरण, सुजा, जेमराज पिठ रामसहाय हिठ 576 शाहमी बेवा रामसहाय हिठ 576	राजू हरिचरण, सुजा, विक्रमसिंह पिठ रामसहाय जाटिनीना हिठ कुठ शाहमी बेवा रामसहाय हिठ 576
02	जखडी	95	राजूलाल, सुवालाल, हरिचरण जेमराज पिठ रामसहाय हिठ 4/5	राजूलाल, सुवालाल, हरिचरण, विक्रमसिंह पिठ रामसहाय हिठ 4/5

(पीठासीन अधिकारी (SDM)  
पीठासीन अधिकारी  
राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार  
लोक अदालत  
सपोररा जिला करौली (राज0)  
उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहा.कलक्टर, .....  
दिनांक:- 23/12/17

क्रमांक:- रालोडा/2011/65-6)  
प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सपोररा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री विक्रमसिंह ड. रामसहाय को सूचनार्थ
3. रक्षित पत्रावली। पिठ बालोरी

(पीठासीन अधिकारी (SDM)  
पीठासीन अधिकारी  
राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार  
लोक अदालत  
सपोररा जिला करौली (राज0)  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहा.कलक्टर, .....

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

श्रीमान जी निवेदन है कि मुताबिक राजस्व रिपोर्ट  
पुत्र रामसहाय के अति मीना नाम की है।  
जबकि प्रायः अन्य दस्तावेजों में नाम विक्रमसिंह  
पुत्र रामसहाय की है जो सही है।

*[Signature]*  
23/5/17

210  
23-5-17  
डॉ. एस. डिकोली कला

*[Signature]*  
23/5/17  
सहायक तहसीलदार

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार राजस्व लोक अदालत अभियान

मुताबिक रिपोर्ट प्रकृती दफ्तर कालोली व डिकोली कला व 9LR  
डिकोली कला तथा संलग्न दस्तावेजों के पुत्र रामसहाय अति  
के स्थान पर विक्रमसिंह पुत्र रामसहाय को मीना नाम शुद्ध किए जाने  
आवश्यकता की गयी है।

*[Signature]*  
तहसीलदार (भू.अ.नि.)  
सपोटरा जिला-करोली

राजस्व लोक अदालत अभियान-2017

आदेश

रिपोर्ट पटवारी दफ्तर, 9LR, तहसीलदार सपोटरा संलग्न दस्तावेजों  
में त्रुटि के अस्तित्व में / त्रुटि दूर करने के लिए प्रत्येक पत्रों के अस्तित्व में  
जांचका स्वीकार किया जाता है। त्रुटि दूर करने के लिए  
पत्राचार के लिए प्रत्येक पत्रों को नम्बर देकर भेजा जाये।

*[Signature]*  
पीठासीन अधिकारी (SDM)  
राजस्व लोक अदालत न्याय आयोग  
सपोटरा, जिला-करोली (राज.)  
उपखण्ड अधिकारी